न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 8/2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

मै. जयसियाराम गुरूकृपा एन्टरप्राईजेज प्रेापराईटर नरेश शर्मा केन्द्रीय विद्यालय कोटा रोड़ बारां (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 13.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2024 को मैसर्स गो गैस एजेन्सी गोदाम केन्द्रीय विद्यालय कोटा रोड की समाचार पत्र में प्रकाशित खबर गैस गोदाम में लगी आग के संबंध में निर्देशानुसार संयुक्त टीम में रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, सन्तोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, जयसियाराम गुरुकृपा एन्टरप्राईजेज केन्द्रीय विद्यालय कोटा रोड बारां पर पहुँचे। मौके पर उपस्थित गो गैस डीलर नरेश शर्मा ने बताया कि दोपहर 3.30 बजे गोदाम के आस पास स्थित कच्चे मकान में आग लग गई थी। मौके पर उपस्थित नागरिकों ने अवगत करवाया कि सामने वाले कच्चे मकान में आग लगने के बाद गैस सिलेण्डर बाहर निकाले जिनमें गैस लीक होने के कारण आग लग गई। गैस गोदाम की जांच करने पर पाया गया कि गोदाम के मालिक के पास विस्फोटक अनुज्ञापत्र नहीं होना पाया गया। एलपीजी गैस भण्डारण की मात्रा की स्वीकृति का दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया। गौदाम पर अवैध रिफलिंग करना पाया गया। जांच के दौरान 26 व्यापारिक गैस सिलेण्डर जिनमें 21 खाली एवं 5 भरे हुए पाये गये जो जब्त किये गये। मौके पर द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवैध रूप से दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 4 के बिन्दु संख्या 6,7 व 11, 1 (ख) (ग) का उल्लघंन पाये जाने पर संलग्न फर्द मौका अनुसार द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग पाये जाने पर 26 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगी नामा लिखा गया। उक्त मकान मालिक का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3 (1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रवर्तन निरीक्षक मय टीम मौके पर पहुचे होगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है तथा मुझे नोटिस ... मौके पर भी नहीं बुलाया। मेरे गोदाम में

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

7. यह कि अवैध रूप से द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग पाये जाने पर 26 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एचपी गैस

कोई आग नहीं लगी तथा गोदाम के पास स्थित कच्चे मकान में आग लगी हो तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी के गैस सिलेण्डर में कभी कोई गैस लिकेज नहीं हुई ना ही गैस लिकेज होने के कारण कोई आग लगी है। अप्रार्थी के पास वैध अनुज्ञा पत्र है जो दिनांक 22.12.2027 तक वैध है एंव पट्रोलियम गैस द्वारा जारी किया गया है। अतः यह कहना कि अवैध गैस सलेण्डर रिफिलिंग किया जा रहा था, गलत है। जो सिलेण्डर जप्त किये गये है वह अप्रार्थी के है तथा नियमानुसार रखे गये है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई उल्लघंन नहीं किया है। जप्त किये गये सलेण्डर को अप्रार्थी की सुपुदर्गी में दिया जाये क्योकि अप्रार्थी उनका वास्तविक स्वामी है। अप्रार्थी ने राजस्थान पट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के खण्ड–3 (1) तथा द्रवित पट्रोलियम गैस आदेश 2000 के खण्ड–3 (2) का कोई उल्लघंन नही किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को निरस्त फरमाकर जप्त किये गये 26 व्यापारिक सिलेण्डर अप्रार्थी की सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करें।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 4 के बिन्दु संख्या 6,7 व 11, 1 (ख) (ग) का उल्लघंन कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 26 व्यापारिक जिनमें 21 खाली एवं 5 भरे हुए गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अप्रार्थी स्वंय ने कथन किया कि प्रार्थी के परिवाद में दर्ज तथ्यात्मक विवरण अस्वीकार है, मेरे गोदाम में कभी कोई आग नहीं लगी तथा गोदाम के पास स्थित कच्चे मकान में आग लगी हो तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी के गैस सिलेण्डर में कभी कोई गैस लिकेज नहीं हुई ना ही गैस लिकेज होने के कारण कोई आग लगी है। अप्रार्थी के पास वैध अनुज्ञा पत्र है जो दिनांक 22.12.2027 तक वैध है एवं पट्रोलियम गैस द्वारा जारी किया गया है। अतः यह कहना कि अवैध गैस सलेण्डर रिफिलिंग किया जा रहा था, गलत है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को निरस्त फरमाकर जप्त किये गये 26 सिलेण्डर अप्रार्थी की सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उसके पास वैध अनुज्ञापत्र होना अंकित करते हुए प्रस्तुत छायाप्रति अनुज्ञापत्र पेश की जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुज्ञापत्र प्राईवेट कम्पनी द्वारा जारी किया गया है। परंतु इसके व्यवसाय हेतु सक्षम राजकीय कार्यालय/अधिकारी से एन.ओ.सी. तथा विस्फोटक अनुज्ञापत्र अप्रार्थी ने प्राप्त नहीं किए। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा 26 व्यापारिक गैस सिलेण्डर जिनमें 21 खाली एवं 5 भरे हुए को अप्रार्थी से नियमानुसार व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की दर से राशि प्राप्त कर प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवायी जाकर जप्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:49 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि अवैध रूप से द्रावित पेट्रोलियम गैस का उपयोग पाये जाने पर 26 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एचपी गैस